तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/30/2004/बीकानेर** **सीतादेवी व अन्य बनाम शंकरलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.2021	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांटस श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 9 से 11 के। **<u>निर्णय</u>** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर दिनांक 31.12.2003 प्रस्तुत की गई है। दौराने अपील अभिभाषक रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में उभयपक्षों समझाईस व लोकभावना के तहत राजीनामा हो चुका है जिसके अनुसार उभय पक्षकारान प्रकरण में लिप्त विवादित आराजी का आपस में बंटवारा करवाना चाहते है। उक्त राजीनामे के अनुसार अपीलांट विवादित आराजी में 35 प्रतिशत हिस्सा तथा रेस्पो0 65 हिस्सा के हकदार रहेगें। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि प्रकरण में काफी संख्या में पक्षकारान है जिनका माननीय न्यायालय में उपस्थित होना नामुमकिन है। कई पक्षकार काफी वृद्ध है तथा कई बीमार रहते है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान परीक्षण न्यायालय में अपना राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। इसलिए उपरोक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय क्रमशः दिनांक 31.12.2003 व 31.03.2003 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण परीक्षण न्यायालयको रिमाण्ड किया जावे। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पर सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड का गहनता से अध्ययन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/30/2004/बीकानेर** **सीतादेवी व अन्य बनाम शंकरलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा जिला बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2003 के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –

‘‘ उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है। रिसीवर शुद्धा भूमि के रिसीवर आदेश समाप्त किये जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 195 की 78 बीघा 15 बिस्वा भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर प्रतिवादीगणों का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करे।’’

ठसी प्रकरण की अपील में न्यायालय अपील अधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 31.12.2003 के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –

‘‘ उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, नोखा का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2003 जिसके द्वारा कब्जा प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया है, उसे निरस्त किया जाता है। अपीलांटस/वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सोवा के ख0न0 504 रकबा 7.94 है0, खसरा नं0 508 रकबा 0.04 है0 व खसरा नं0 509 रकबा 11.73 है0 कुलरकबा 19.71 है0 भूमि की जमाबंदी संवत 2051 के अंकन को बदस्तूर रखा जावे और यदि आदेश दिनांक 31.03.2003 की पालना में रेस्पो0/प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया हेा तो उसे निरस्त किया जावे।’’

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त भूमियों के संबंध में परस्पर विपरीत व विरोधाभासी निर्णय पारित किये गये है। इस स्थिति में जब संबंधित पक्षकार परस्पर सहमति व राजीनामें से प्रकरण का अंतिम निस्तारण करवाना चाहते है तो वादग्रस्त भूमियों के संबंध में तथ्यात्मक व विधिक स्थिति को रिकार्ड पर लिया जाकर उसका पूर्ण विवेचन व परीक्षण करने के उपरांत ही

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/30/2004/बीकानेर** **सीतादेवी व अन्य बनाम शंकरलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विधिसंगत व न्यायोचित निर्णय संभव हो सकेगा। इसके लिए इन वादग्रस्त भूमियों के सभी हितबद्ध पक्षकारों व उनके वारिसानों को रिकार्ड पर लिया जाकर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों क्रमशः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा जिला बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2003 व न्यायालय अपील अधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 31.12.03 अपास्त किये जाते है। प्रकरण मूल ही परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमियों के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले राजीनामे को मध्यनजर रखते हुये इन वादग्रस्त भूमियों के सभी हितबद्ध पक्षकारों व उनके वारिसानों को रिकार्ड पर लेते हुये उन्हें सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिसंगत निर्णय पारित करे। प्रकरण के सभी पक्षकार दिनांक 20.10.2021 को परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष उपस्थित होवें।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष